न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

अपील संख्या–01/2025
अपील प्रविष्टि दिनांक–24.01.2025
निर्णय दिनांक–27.11.2025

1. हनुमान पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. पप्पू पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. इन्द्रा पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. पार्वती पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. मीरा पुत्री भंवरलाल जाति नाई निवासी ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. ग्राम पंचायत निम्हेडा जरिये प्रशासक

रेस्पोडेन्ट

अधिवक्ता अपीलांट–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0
रेस्पोडेट–अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम बीजवाड दिनांक 20.01.2024 ग्राम पंचायत निम्हेडा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 380, 414, 425, 426, 427 कुल किता 05 कुल रकबा 3.5784 हैक्ट. वाके ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें जगदीश पुत्र बजरंगा का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा भंवरलाल पुत्र बजरंगा था। अपीलान्टस भंवरलाल के पुत्र व पुत्रियो है। जगदीश पुत्र बजरंगा लाऔलाद अविवाहित फोत

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

हुआ है। जिसके अपीलांट सगे भतीजे व भतीजियां वारिसान/उत्तराधिकारी है। जिनके नाम ग्राम पंचायत द्वारा जगदीश पुत्र बजरंगा के 1/2 हिस्से की आराजीयात का उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण भरा जाकर दिनांक 20.01.2024 को तरदीक किया गया है, परन्तु अपीलांटस के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर जगदीश अंकित कर दिया गया। इस कारण उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। क्योकि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत निम्हेडा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश विधि विधान एवं तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के पिता का नाम भंवरलाल है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो ने बिना जगदीश पुत्र बजरंगा की फोती का नामान्तकरण अपीलांट के नाम सही रूप से भर दिया गया, परन्तु अपीलान्टस के पिता का नाम भंवरलाल की जगह जगदीश अंकित कर दिया गया, जबकि जगदीश तो अपीलान्टस के चाचा है। इस कारण उक्त नामान्तकरण गलत सादिर हुआ है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अपने चाचा जगदीश द्वारा छोडी गई उक्त आराजीयात पर मौके पर बहैसियत मालिक, स्वामी के काविज है, परनतु उक्त आराज़ीयात के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलान्टस का 1/2 हिस्से के रूप में जगदीश के वारिसान अंकित कर दिया गया और 1/2 हिस्से के रूप में अपीलांट को भंवरलाल के वारिसान् के रूप में अंकित कर दिया गया। इस प्रकार एक ही जमाबंदी में अपीलान्टस के पिता के दो नाम भंवरलाल, जगदीश अंकित कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियो को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट्स की वल्दियत भंवरलाल ही अंकित करनी चाहिए था। जिससे अपीलाधीन निरस्त योग्य है। अपीलान्टस के समस्त कृषि भूमि के दस्तावेजो के पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, वोटर लिस्ट व अन्य सरकारी सभी दस्तावेजो में उनके पिता का नाम भंवरलाल अंकित है। अपीलाधीन नामान्तकरण की अपीलांटस को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट्स को जगदीश के पुत्र, पुत्री मानते हुए पिता का नाम जगदीश अंकित कर दिया। अतः अपील अपीलांटस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम बीजवाड दिनांक 20.01.2024 द्वारा ग्राम पंचायत निम्हेडा को जगदीश पुत्र बजरंगा की विरासत के भरे गये नामान्तकरण में अपीलान्टस के पिता का नाम भंवरलाल अंकित करने हेतु तहसीलदार पीपलू को निर्देशित करने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण का पूर्व में कोई ज्ञान नही था। अभी कुछ दिना पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल लिये जाने पर उसका अवलोकन करने पर दिसम्बर 2024 में पता चला कि अपीलान्टस् के नाम जो जगदीश की विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उसमें अपीलान्ट्स को जगदीश के पुत्र पुत्री मानते हुए

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पिता का नाम जगदीश अंकित कर दिया। जिस पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रति प्राप्त करके यह अपील बिना किसी अपील के पेश की है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई देरी नही की है, जो देरी हुई है। वह अज्ञानतावश हुई है। जिसे न्यायहित में माफ किया जाकर हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस हेतु निवेदन किया। बहस अधिवकता अपीलांट्स सुनी गई। अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 380, 414, 425, 426, 427 कुल किता 05 कुल रकबा 3.5784 हैक्ट. वाके ग्राम बीजवाड, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें जगदीश पुत्र बजरंगा का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा भंवरलाल पुत्र बजरंगा था। अपीलान्टस भंवरलाल के पुत्र व पुत्रियो है। जगदीश पुत्र बजरंगा लाऔलाद अविवाहित फोत हुआ है। जिसके अपीलांट सगे भतीजे व भतीजियां वारिसान/उत्तराधिकारी है। जिनके नाम ग्राम पंचायत द्वरा जगदीश पुत्र बजरंगा के 1/2 हिस्से की आराजीयात का उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण भरा जाकर दिनांक 20.01.2024 को तस्दीक किया गया है, उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। क्योकि योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत निम्हेडा द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश विधि विधान एवं तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के पिता का नाम भंवरलाल है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो ने बिना जगदीश पुत्र बजरंगा की फोती का नामान्तकरण अपीलांट के नाम सही रूप से भर दिया गया, परन्तु अपीलान्टस के पिता का नाम भंवरलाल की जगह जगदीश अंकित कर दिया गया, जबकि जगदीश तो अपीलान्टस के चाचा है। इस कारण उक्त नामान्तकरण गलत सादिर हुआ है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अपने चाचा जगदीश द्वारा छोडी गई उक्त आराजीयात पर मौके पर बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज है, परनतु उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलान्टस का 1/2 हिस्से के रूप में जगदीश के वारिसान अंकित कर दिया गया और 1/2 हिस्से के रूप में अपीलांट को भंवरलाल के वारिसान् के रूप में अंकित कर दिया गया। इस प्रकार एक ही जमाबंदी में अपीलान्टस के पिता के दो नाम भंवरलाल, जगदीश अंकित कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियो को उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट्स की वल्दियत भंवरलाल ही अंकित करनी चाहिए था। जिससे अपीलाधीन निरस्त योग्य है। अपीलान्टस के समस्त कृषि भूमि के दस्तावेजो के पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, वोटर लिस्ट व अन्य सरकारी सभी दस्तावेजो में उनके पिता का नाम भंवरलाल अंकित है। अपीलाधीन नामान्तकरण की अपीलांटस को पूर्व में कोई जानकारी नही थी।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट्स को जगदीश के पुत्र, पुत्री मानते हुए पिता का नाम जगदीश अंकित कर दिया। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम बीजवाड दिनांक 20.01.2024 द्वारा ग्राम पंचायत निम्हेडा को जगदीश पुत्र बजरंगा की विरासत के भरे गये नामान्तकरण में अपीलान्टस के पिता का नाम भंवरलाल अंकित करने हेतु तहसीलदार पीपलू को निर्देशित करने का आदेश प्रदान करे। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रा0पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस अपीलान्ट्स सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण का पूर्व में कोई ज्ञान नही था। अभी कुछ दिना पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल लिये जाने पर उसका अवलोकन करने पर दिसम्बर 2024 में पता चला कि अपीलान्टस् के नाम जो जगदीश की विरासत का नामान्तकरण भरा गया। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई देरी नही की है, जो देरी हुई है। वह अज्ञानतावश हुई है। जिसे न्यायहित में माफ किया जाकर हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र लिमिटेशन के संबंध में अपीलार्थी अज्ञानता के कारण देरी होना अंकित किया है, जिसे न्यायहित में माफ करते हुए स्वीकार किया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत निम्हेडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1034 दिनांक 20.01.2024 संहवनीय त्रुटीपूर्ण है, अपीलान्टस भंवरलाल के पुत्र व पुत्रियो है। जगदीश पुत्र बजरंगा लाऔलाद अविवाहित फोत हुआ है। जिसके अपीलांट सगे भतीजे व भतीजियां वारिसान/उत्तराधिकारी है। जिनके नाम ग्राम पंचायत द्वरा जगदीश पुत्र बजरंगा के 1/2 हिस्से की आराजीयात का उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण भरा जाकर दिनांक 20.01.2024 को तस्दीक किया गया है, परन्तु अपीलांटस के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर जगदीश अंकित कर दिया गया, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः नामान्तकरण संख्या 1034 ग्राम बीजवाड निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार पीपलू को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता हैं कि पक्षकारो की विधिवत् सुनवाई कर समस्त तथ्यों की नये सिरे से जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)